

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2877**  
**18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**वस्त्र क्षेत्र में निवेश**

**2877. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वस्त्र क्षेत्र में कुल निवेशित पूँजी का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 11.8% से घटकर वर्ष 2021-22 में 6% हो गया है;
- (ख) वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक वस्त्र क्षेत्र में कुल निवेशित पूँजी तथा वर्ष 2025-26 में अनुमानित पूँजी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कारण है कि वस्त्र और परिधान उद्योग तथा कपास प्रसंस्करण का देश के विनिर्माण में महत्व कम होता जा रहा है;
- (घ) भारत के वस्त्र और सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात वर्ष 1991-92 के 26.27% से घटकर वर्ष 2022-23 में मात्र 7.66% रह जाने के क्या कारण हैं तथा वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 की स्थिति क्या है; और
- (ङ) सरकार किस प्रकार इन मुद्दों का समाधान कर इस क्षेत्र को पुनः अच्छा बनाने जा रही है?

**उत्तर**  
**वस्त्र राज्य मंत्री**  
**(श्री पबित्र मार्वेरिटा)**

(क) से (ङ): वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 में वस्त्र विनिर्माण और अपैरल विनिर्माण में निवेश की गई पूँजी 66,45,908 लाख रुपये थी, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए संबंधित आंकड़ा 3,15,10,814 लाख रुपये था। वर्ष 2000-01 के लिए वस्त्र क्षेत्र में कुल निवेश की गई पूँजी का हिस्सा कुल विनिर्माण क्षेत्र का 11.60% था, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह आंकड़ा 5.68% था। एएसआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए कुल निवेश की गई पूँजी 3,65,07,663 लाख रुपये है।

निर्यात मांग तथा आपूर्ति का एक कार्य है और यह वैश्विक मांग, ऑर्डर फ्लो, लॉजिस्टिक्स आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) का निर्यात तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अप्रैल-दिसंबर 2024 का निर्यात निम्नानुसार है:

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

मद्दें	वित वर्ष 2023-24	वित वर्ष (2024-25) अप्रैल- दिसम्बर 2024
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए	35,874	27,430
कुल निर्यात में % हिस्सा	8.21%	8.5%

सरकार, निर्यात सहित वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं/पहलें क्रियान्वित कर रही हैं, जिनमें पीएम मित्र, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएस), समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना एटीयूएफएस, सिल्क समग्र-2, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) आदि शामिल हैं।

वस्त्र और अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वस्त्र और गारमेंट निर्यात के प्रचार और ब्रांडिंग में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को बाजार पहुंच पहल योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपैरल/गारमेंटस और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएसटीसीएल) की छूट के लिए योजना लागू कर रही है।

\*\*\*